राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 917/2015/चित्तौड़गढ.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
माधवनगर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 18/05/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 58/ वैट/14–15/चित्तौड़गढ़ में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये प्रत्यर्थी का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.06.2010 को पारित किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा खरीद किये गये केपिटल गुड्स में दो सी.सी.टी.वी. हाई टैम्परेचर कैमरा सिस्टम की खरीद पर आगत कर का लाभ दिया गया था परन्तु दिनांक 08.08.2014 को वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत कर निर्धारण आदेश में संशोधन कर केपीटल गुड्स के रुप में प्रदान की गई आई.टी.सी. को निरस्त कर दिया गया। आदेश में केवल यह लिखा गया कि नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं जवाब विधिसम्मत नहीं होने से अस्वीकार कर मांग कायम की जाती है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा हाई टेम्परेचर कैमरा की खरीद की गई है जो व्यवहारी के निर्माण में प्रयुक्त भट्टी में टेम्परेचर की जांच करने हेतु लगाये जाते हैं जो उसके

लगातार.....2

निर्माण कार्य में मशीनरी का पार्ट है अतः केपिटल गुड्स की श्रेणी मानकर प्रथम कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 18 के तहत जो क्लेम स्वीकृत किया गया था वह विधिसम्मत था जिसमें संशोधन किया जाना अविधिक मानकर संशोधित आदेश दिनांक 08.08.2014 को अपास्त किया गया है। अपीलीय आदेश में यह भी वर्णित किया गया है कि दिनांक 30.06.2010 के आदेश को दिनांक 08.08.2014 को संशोधित किया गया है जो वेट अधिनियम की धारा 33 में विहित समयावधि 4 वर्ष के बाद किया गया है उस आधार पर अवधि पार होने से खारिज योग्य है। विवादित अपीलीय आदेश में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने निर्माण कार्य में भट्टी (फरनेश) में टेम्परेचर के नियंत्रण के लिए आवश्यक हाई टेम्परेचर कैमरा की खरीद की गई है जो वेट अधिनियम की धारा 18 एवं केपिटल गुड्स की परिभाषा की धारा 2(7) के तहत "Plant and machinery including parts and accessories thereof" में सम्मिलित होने से इस पर आई.टी.सी का क्लेम प्रत्यर्थी को देय है।

4. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

18/7/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य